


न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बीकानेर
पीठासीन अधिकारी जसवन्त सिंह आर.ए.एस
अपील संख्या 92/2025 एल आर एक्ट (GCMS No 2025/101)
अनुवान बलराम नाम ग्राम पंचायत नाथवाना तहसील संगरिया, वगैरह
अपील विरुद्ध आदेश— सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया, अनुवान बलराम बनाम
ग्राम पंचायत नाथवाना, संख्या 84/2024 आदेश दिनांक 28.4.2025

.तारीख	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियन्स जज	नम्बर व तारीख अहकाल जो इस हुक्त की तामील में जारी हुए
18.03.2026	<p>अभिभाषक अपीलान्त उपस्थित। अभिभाषक अपीलान्त ने प्रार्थना पत्र पेश कर अपील वापस लेने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक अपीलान्त को सुना गया। अभिभाषक अपीलान्त ने बहस के दौरान कथन किया कि उक्त प्रकरण में दिनांक 23.02.2026 को चारो भाईयो के बीच पारिवारिक समझौता हो चुका है, अपीलान्त अपील को आगे नही चलाना चाहते है, अपील पारिवारिक समझौता के अनुरूप इसी स्तर पर वापस लेना चाहता है। अनुमति प्रदान करे।</p> <p>हमने प्रार्थना पत्र एव पत्रावली का अवलोकन/ विश्लेषण किया। अपीलान्त/अभिभाषक अपीलान्त स्वयं इस अपील को आगे नही चलाना चाहता है, अपील को वापस लेना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलान्त इसी स्तर पर खारिज की जाती है। आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर सुव्यवस्थित रखी जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">  अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बीकानेर </p>	<p>157-158 1.4.26</p>